# न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R 4268 PBR/16 66

निलेश पिता कैलाशचंद्र खण्डेलवाल आयु 38 वर्ष
धन्धा–व्यापार, निवासी 34 जवाहर मार्ग धार
**संस्कार गार्डन द्वारा प्रोपरायटर :–**
निलेश पिता कैलाशचंद्र खण्डेलवाल आयु 38 वर्ष
ग्राम देलमी मांडव रोड़ धार जिला धार .....निगरानीकर्ता

**बनाम**

म0प्र0शासन द्वार अनुविभागीय अधिकारी
धार जिला धार म0प्र0 .....विपक्षी

## निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

**मान्यवर महोदय,**

सेवा में अत्यन्त विनम्रता से अर्ज है कि विपक्षी अनुविभागीय अधिकारी महोदय स्वयं ने किसी विधिक अधार के, तथ्य के, मनमाने तौर पर कायदे के विरूद्ध पूर्व में उनके यहां चले प्रकरण जिनमें समय समय पर आज्ञा हुई है जो विधिक रूप से आज भी कायम है उनकी कोई अपील दलील नहीं हुई है वे प्रकरण निर्णित होकर अभिलेखागार में भेजे जा चुके है । जिसकी एक प्रति इस निगरानी के साथ पेश है । उक्त भूमि का विधिवत लगान अदा होता रहा है यह सब रिकार्ड उनके यहां मौजूद है पैसा जमा हो चुका है । ऐसी दशा में यथाकथित नोटिस पुर्नविचार स्वरूप का 12 साल बाद विधि व तथ्य से विचार योग्य नहीं है न स्वयं अनुविभागीय अधिकारी ने उनके पूर्वाधिकारी का आदेश की वैधता के संबंध में नोटिस के संबंध में कोई वरिष्ठ से कोई परमिशन ली है ना इजाजत है, और चालु कार्य को यकायक अंतिम तौर पर बिना प्रमाण लिये, बिना साक्ष्य का मोका दिये, बिना कूट परीक्षण का मोका दिये, बिना नोटिस के आधार के दस्तावेज प्रपत्र प्रदान किये । यकायक मनमाने तौर पर यथाकथित नोटिस कमाक 3514/रीडर/2016 में आगे प्रकरण कमाक 51/2016–17/बी–121 में आदेश दिनांक 19/12/2016 द्वारा आज्ञा कर बंद संबंधी विधि विरूद्ध आज्ञा दी, आज्ञा की नकल बाबद हमने जरूरी में नकल दी, नकल देते नहीं है ऐसी दशा में अधिकारों के परे जाकर की गई प्रारंभ कार्यवाही व आज्ञा दिनांक 19/12/2016 जो अवैध विचाराधिकार रहित है उसे निगरानी में

निरन्तर.....2

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक निगरानी 4268-पीबीआर/2016 जिला धार**

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07-03-19 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।<br><br>अध्यक्ष | |